न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 102/2018
3. उनवान : 1. दयाल
   2. प्रभूदयाल } पुत्रान कानाराम
   3. मूलचन्द
   4. मंगलचन्द } पुत्रान गोमा
   5. पन्नारा
   6. पन्नी देवी पत्नि भुवानाराम
   7. सूजाराम
   8. बरमचन्द } पुत्रान भुवानाराम
   9. छोटूराम
   10. नारायणी देवी पत्नि हनुमान

   समस्त निवासी ग्रांम हिंगोनिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   बनाम

   1. भीवाराम पुत्र कानाराम
   2. संतोष देवी पत्नि जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मोहन का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जयपुर।
   3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 29-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री गोगराज चौधरी अपीलांट्स की ओर से।
   ब) श्री जुगल किशोर शर्मा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 ता 5 एवं 6 ता 10 के पूर्वज भुवाना व अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण व अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 5 बीघा वाके ग्रांम हिंगोनिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में से अपनी खातेदारी की भूमि 34 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलार्थीगण व अन्य की भूमि के पूर्वी सीमा पर से रास्ते बाबत मिथ्या अभिवचन करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 3.11.2016 को निर्णय किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थीगण व अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता कायम करने बाबत् आदेश पारित किया, जिसकी विधिवत अपील अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष दयाल बनाम भीवाराम दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 3.4.2017 को पक्षकारान की स्थगन पर बहस अन्तरिम सुनकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के उक्त आदेश की कियान्विति स्थगित कर दी तथा दिनांक 7.4.2017 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 10.4.2017 को उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश/निर्णय दिनांक 3.11.2016 की कियान्विति स्थगित

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रखी जाकर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 32 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट व पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक हिंगोनिया ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर अपीलार्थी की भूमि को हडपने की नियत से तथा अपीलार्थीण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं उक्त अपील प्रस्तुत करने के बाद व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश के प्रभावी होने तथा अपील व स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद पीछे की तारीख दिनांक 21.03.2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश/निर्णय दिनांक 03.11.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1863 स्वीकृत कर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 32 में से साढे चार बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर सिवायचक बिना लगानी की खातेदारी दर्ज कर दी। नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांक 21.03.2017 विधि विरूद्व व विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो एवं सही व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन थी तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी था तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश/निर्णय दिनांक 03.11.2016 की कोई पालना मौके पर नहीं हुई थी, बल्कि उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 भूमि खसरा नम्बर 33 पश्चिमी सीमा पर स्थित रास्ते से ही प्रारम्भ से उपयोग उपभोग कर आवागमन करते चले आ रहे तथा आज भी उक्त रास्ते से ही आवागमन करते चले रहे है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को भली प्रकार से थी, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलीभगत कर सही व वास्तविक तथ्यों व मौके के विपरीत एंव अपील के विचाराधीन होने व स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण संख्या 1863 स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरकरण खोला है, जबकि नैसर्गिक व प्राकृतिक न्याय का भी यह सिद्वान्त है कि पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर एवं मौके के संबंध में सम्पूर्ण जांच की जाकर ही नामान्तरकरण खोलना चाहिए। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान न देकर कानूनी सिद्वान्तों व तथ्यों एवं अपील व स्थगन आदेश की अनदेखी कर बदनियतीवश अनुचित लाभ व अपने पद का दुरूपयोग कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो कि अपीलार्थीगण के अधिकारो के प्रति अवैध, शून्य व प्रभावशून्य है। अपीलार्थीगण ने दिनांक 22.03.2017 को पटवारी हल्का से उक्त भूमि की जमाबंदी प्राप्त की थी, जिसमे उक्त नामान्तरकरण बाबत् किसी प्रकार का कोई अंकन नही था तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त जमाबंदी की नकल मे अंकितानुसार दिनांक 23.03.2017 को प्राप्त की है तथा उक्त नकल व अन्य दस्तावेज रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.04.2017 को बहस स्थगन प्रार्थना पत्र के दौरान प्रस्तुत नहीं किये, बल्कि उक्त दस्तावेजात् दिनांक 7.04.2017 को प्रस्तुत किये है, जिससे यह साबित है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगाठ कर अपील प्रस्तुत करने व स्थगन आदेश पारित करने के पश्चात पीछे की तारीख में की है। मौके पर अपीलार्थीगण की भूमि पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा आज भी नही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कभी भी अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ते का उपयोग उपभोग नही किया है, बल्कि अपीलार्थीगण अपनी भूमि पर फसल बोते है, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर तथा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद जानबुझकर स्थगन आदेश की अनदेखी कर मौके की कोई जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने भारी कानूनी

अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन) जयपुर

भूल की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष भू–अभिलेख निरीक्षक करणसर द्वारा दिनांक 15.07.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा उक्त नामान्तरकरण में अलग अलग है, जिससे भी यह साबित है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से आपस में मिलीभगत कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष नायब तहसीलदार फुलेरा द्वारा दिनांक 13.08.2012 को रास्ते बाबत फर्द मौका तैयार की है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक करणसर द्वारा दिनांक 15.07.2013 को बनाई गई रिपोर्ट को तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 23.08.2013 को प्रस्तुत किया है, उक्त फर्द मौका व रिपोर्ट में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 34 में आवागमन का रास्ता मौके पर भूमि खसरा नम्बर 33 में से होकर जाना तथा उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आते जाते रहना तथा वर्तमान में भी उक्त रास्ता ही है तथा अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 32 में अपीलार्थीगण ने काश्त कर रखी है तथा रास्ता के निशान खसरा नम्बर 33 में ही बने हुये है तथा रास्ता खसरा नम्बर 33 की पश्चिमी सीमा पर ही दिया जाना उचित होने व अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 32 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 34 से सीमाए नहीं मिलने के तथ्य अंकित किये है तथा भूमि खसरा नम्बर 33 में रास्ते की चौडाई व रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल तथा अनुमोदित दर के तथ्य भी अंकित किये है, जबकि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 32 के संबंध में रास्ते बाबत कोई लम्बाई, चौडाई, क्षेत्रफल व डी. एल.सी. दर की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है, इस बाबत् पटवारी हिंगोनिया द्वारा दिनांक 27.01.2017 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 31.01.2017 में खातेदार गलकू देवी को पक्षकार नहीं बनाये जाने व अन्य तथ्य अंकित किये गये है, जिससे रेस्पोडेन्ट का उक्त सभी तथ्यों व मौके की भली प्रकार से जानकारी थी, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने इस संबंध में किसी प्रकार की मौके की कोई जांच किये बिना ही व इन सबकी अनदेखी कर गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 07.04.2017 को अपीलार्थीगण की भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 08.04.2017 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त जमाबंदी में तथाकथित नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी कर दिनांक 01.05.2017 को तथाकथित नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त नामान्तरकरण की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी, जिससे नकल मिलने से बिना किसी देरी के उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांकित 21.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। नोटिस सम्यक रूप से तामील हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251–ए के तहत अपीलार्थीगण व अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 5 बीघा वाके ग्रांम हिंगोनिया तहसील किशनगढ रेनवाल में से अपनी खातेदारी की भूमि 34 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलार्थीगण व अन्य की भूमि के पूर्वी सीमा पर से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 3.11.2016 को निर्णय किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थीगण व अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता कायम करने बाबत् आदेश पारित किया। जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष दयाल बनाम भीवाराम दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत की। दिनांक 10.4.2017 को उक्त अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश/निर्णय दिनांक 3.11.2016 की कियान्विति स्थगित रखी जाकर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 32 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश के प्रभावी होने तथा अपील व स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद पीछे की तारीख दिनांक 21.03.2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश /निर्णय दिनांक 03.11.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1863 स्वीकृत कर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 32 में से साढे चार बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर सिवायचक बिना लगानी की खातेदारी दर्ज कर दी। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, ना ही उच्चतर न्यायालय माननीय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन को ध्यान रखा, जिसमें मूल अपील विचाराधीन है। मौके पर अपीलार्थीगण की भूमि पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा आज भी नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांकित 21.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 251–ए के प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 3.11.2016 को निर्णय किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थीगण व अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता कायम करने बाबत् आदेश पारित किया। मौका रिपोर्ट एवं तथ्यों की गंभीरता के आधार पर उक्त आदेश की पालना में नियमानुसार तथा विधि सम्मत सम्पूर्ण कार्यवाही कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या संख्या 1863 दिनांक 21.03.2017 खोला गया है। रेस्पोडेन्ट्स को अपीलार्थी द्वारा राजस्व अधिकारी, जयपुर के यहां दायर अपील की जानकारी भी नहीं थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हम अपीलार्थी की अपील, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांक 21.03.2017 द्वारा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के निर्णय दिनांक 03.11.2016 की अनुपालना में दर्ज/स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक अथवा प्रक्रियागत त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी का कथन स्थगन के दौरान नामान्तरकरण खोलने का है, रिकॉर्ड से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 21.03.2017 को स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थी न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने के कारण मय कोस्ट खारिज योग्य ज्ञात होती है।

अतः अपीलार्थी की अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांक 21.03.2017 द्वारा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।